बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0 :–2/अ0प्र0–1–13/2018 1095 /पटना, दिनांक :– 12-8-21

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री बालिस्टर सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा कार्य प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत सुलिन्दाबाद एस०एच० से मोरकाही–कोरलाही होते हुए सुबेदारी चौक तक पथ मरम्मति कार्य में अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में अर्न्तविष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि श्री बालिस्टर सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री बालिस्टर सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता :– द्वारा श्री उदय नारायण सिंह, नीव शिव आश्रम, सल्म 161 के पीछे, कंकड़बाग, पटना, पिन कोड–800020 से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11.8.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–13/2018 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) कार्य दिवस के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा सम्पूर्ण कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

11.8.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–13/2018 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री बालिस्टर सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता :– द्वारा श्री उदय नारायण सिंह, नीव शिव आश्रम, सल्म 161 के पीछे, कंकड़बाग, पटना, पिन कोड–800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

11.8.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–13/2018 1095 /पटना, दिनांक :– 12.8.21

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, सहरसा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11.8.21

उप सचिव